अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 19/2016-सेवा कर

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होंगे ।

2. सेवा कर नियम, 1994 में,--

(1) नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (घ) के खंड (i) में,--

(क) मद (घ) में, उपमद (II) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(II) अधिवक्ताओं की कोई फर्म या किसी वरिष्ठ अधिवक्ता से भिन्न कोई व्यष्टिक अधिवक्ता, विधिक सेवाओं के माध्यम से";

(ख) मद (ङक) का लोप किया जाएगा ;

(2) नियम (6) में,--

(i) उपनियम (1) में,--

(क) पहले परंतुक में, "कोई व्यष्टि अथवा स्वामित्व फर्म या भागीदारी फर्म है" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे,--

"निर्धारिती एक व्यक्ति कंपनी है, जिसकी एक या अधिक परिसरों से प्रदान की गई कराधेय सेवाओं का सकल मूल्य पूर्व वित्त वर्ष में पचास लाख रुपए या उससे कम है या निर्धारिती कोई व्यष्टिक या संपातिक फर्म या भागीदारी फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है";

(ख) तीसरे परंतुक में, "व्यष्टिकों और भागीदारी फर्म के मामले में" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"ऐसे व्यष्टिकों, भागीदार फर्मों और एक व्यक्ति कंपनियों के मामले में" ;

(ii) उपनियम (4) में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (संख्या 2) नियम, 2001" शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(iii) उपनियम (7क) में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iक) उपर्युक्त (i) से भिन्न एकल प्रीमियम वार्षिकी पालिसी की दशा में पालिसी धारक से एकल प्रीमियम का 1.4 प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा ;"।

(3) नियम 7 में,--

(i) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक निर्धारिती, उस वित्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी, जिससे विवरणी संबंधित है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के 30 नवंबर तक प्रस्तुत करेगा ।

(3ख) केंद्रीय सरकार ऐसी शर्तों या सीमाओं के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा निर्धारिती या निर्धारितियों के वर्ग को, विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनसे उपनियम (3क) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी ।";

(ii) उपनियम (4) में, "उपनियम (2)" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "उपनियम (2) और उपनियम (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(4) नियम 7ख को उसके उपनियम (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2) कोई निर्धारिती जिसने नियत तारीख तक नियम 7 के उपनियम (3क) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी फाइल की है, उक्त वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने

की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।"।

(5) नियम 7ग को उसके उपनियम (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2) जहां नियम 7 के उपनियम (3क) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी किसी निर्धारिती द्वारा नियत तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है तो निर्धारिती केंद्रीय सरकार को ऐसी विवरणी फाइल करने में विलंब की अवधि के लिए प्रत्येक दिन के लिए 100/- रुपए की दर से संगणित रकम का बीस हजार रुपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए प्रत्यय करेगा ।"।

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(क. कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 2/94-सेवा कर, तारीख 28 जून, 1994 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 546(अ) तारीख 28 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 27/2015-सेवा कर, तारीख 18 दिसंबर, 2016, सा.का.नि. 987(अ) तारीख 18 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।